मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969

क्रमांक 9/1969

(मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम पर राष्ट्रपति महामहिम की स्वीकृति 31 जुलाई 1969 को प्राप्त हुई जिसे म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 2 अगस्त 1969 पृ. 1943-1953 पर प्रकाशित किया गया अधिसूचना क्र. 21438 इक्कीस - अ (प्रा.) दिनांक 1 अगस्त 1969 भोपाल प्रकाशित हुई)

कतिपय वनोपज के व्यापार को लोक हित में विनियमित करने और उस हेतु उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार (State Monoploy) के सृजन करने के लिये उपबन्ध करने का अधिनियम

भारत गणराज्य के वीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश लेजिस्लेचर (विधान-मंडल) द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :–

उद्देश्य एवं कारण:- तात्कालिक आवश्यकता अनुभव की जाने से राज्यपाल महोदय ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश क्र.- 9/1969 के रूप में इसे जारी किया था, जिसका आशय सारांश में यह प्रकट किया गया था कि–

(a) राज्य के सहकारी वनों में अधिक मूल्यवान एवं विशाल मात्रा में वन उपज उत्पन्न की जाती है जिसके व्यापार के विनियमन (Regulate) करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिससे व्यापार का मुनाफा ठेकेदारों या बिचौलियों (मध्यस्थों) द्वारा शोषण कर लिया जाता है। राज्य के ऐसे आगम (Proceeds) के लिए विधिपूर्ण विनियोग द्वारा राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु वन उपज के व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।

(b) ऐसे व्यक्ति जिनकी रोटी-रोजी का खास साधन वन उपज का संग्रह है जिनमें आदिवासी जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें उनकी संग्रहीत वन उपज का यथार्थ मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए भी वन उपज के व्यापार का विनियमन एवं राज्य का एकाधिकार होना आवश्यक है।

(c) अतएव वन उपज के व्यापार, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी शक्तियों (Control and Supervisory powers) से राज्य सरकार को समन्वित किया गया; (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 3 जुलाई 1969 पृष्ठ 1586)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969** कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह–

(एक) ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी वन उपज के संबंध में तत्काल प्रवृत्त होगा- जिन्हें (अध्यादेश-9/69) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट (Specified) किया गया हो- जिसे (अध्यादेश को) अधिनियम की धारा 23 के अधीन निरस्त कर दिया गया है, और

(दो) ऐसे अन्य क्षेत्र या क्षेत्र में तथा ऐसे अन्य वन उपज के सम्बन्ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जिसे या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

टिप्पणी

नीचे दी गई सारणी (तालिका- Table) में वह अधिसूचनाएँ तथा तारीखें दर्शाई जाती हैं जिनके अनुसार अध्यादेश (9/1969) की धारा 1 (3) की शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ने इस अध्यादेश

को मध्यप्रदेश में लागू किया था तथा अधिनियम अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर अधिनियम की धारा 1 (3) (दो) के अधीन अधिसूचनाओं द्वारा इस कानून को म. प्र. राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में लागू किया है–

(1) अधिसूचना क्र. 3544-X-69 दिनांक 21-6-1969 द्वारा - वन उपज महुआ फूल, महुआ बीज सभी प्रकार के गोंद, हर्रा के बारे में अध्यादेश क्र. 9/69- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश वन सरकिल बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, मध्य (जबलपुर) तथा बालाघाट में लागू किया गया।

(2) (1) अधिसूचना क्र. 289-1344-X-(3)-70 दिनांक 10 अगस्त 1970- म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9/1969) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम 1 (एक) सितम्बर 1970 से इन क्षेत्रों में नीचे विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में लागू होगा :–

(A) क्षेत्र- राजस्व जिले- (1) सीधी (2) शहडोल (3) सरगुजा - (केवल चांद बखार फारेस्ट डिव्हीजन), (4) होशंगाबाद (5) बैतूल (6) रायपुर (7) दुर्ग तथा (8) बस्तर

(B) इमारती लकड़ी - सागौन (Tectona Grandis)
साल (Shorea Roubasta)
साज (Terminetia Tomentosa) तथा
बीजा (Pterocarpus Massupium)

2 (2) निम्नलिखित फारेस्ट रेंजों के कूप्स (Coupes) को वन विभागीय पर्यवेक्षण (Supervision) के अधीन या निम्नलिखित विवरण के अनुसार पब्लिक आक्शन सार्वजनिक घोष विक्रय (नीलामी) द्वारा - कार्यान्वित किया जावेगा:-

		फारेस्ट रेंजों के नाम जिनमें खड़े कूपों को कार्यान्वित किया जाएगा	
राजस्व जिले	फारेस्ट डिव्हीजन	वन विभागीय पर्यवेक्षण के अधीन	सार्वजनिक नीलामी से विक्रय द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सीधी	1. पश्चिमी सीधी	1. पूर्वी सीधी 2. पश्चिमी सीधी 3. मड़वास 4. मंझगवां 5. पौण्डी 6. कुसुमी	
	2. पूर्वी सीधी	1. सराय 2. माडा 3. बैढ़न	4. चितरंगी 5. वरगवां 6. जियावन
2. शहडोल	3. उत्तरी शहडोल	1. पूर्वी ब्यौहारी 2. पश्चिमी ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. अमझोर 5. खोनो दी 6. पाली	

(1)	(2)	(3)	(4)
		7. घनघुटी	
	4. दक्षिणी शहडोल	1. अमरकण्टक	
		2. जैठारी	
		3. कोतमा	4. जेलपुर
			5. केसवाही
			6. बुढार
			7. शहडोल
	5. उमरिया	1. पनपठा	
		2. टाला	
		3. मानपुर	
		4. धामोखर	
		5. करकेली	
		6. उमरिया	
		7. चन्दिया	
3. सरगुजा	6. चांद बाखर	1. कमरजी	
		2. कटाडोल	
		3. केल्हारी	
		4. बहारसी	
		5. खरपुर	
		6. जनकपुर	
4. होशंगाबाद	7. होशंगाबाद	1. होशंगाबाद	[1][पिपरिया]
		2. सुकतवा	2. वनखेरी
		3. बोरी	3. वगरा
		4. सुहागपुर	4. पचमढ़ी
		[2]5. [(विलुप्त)]	
		6. [”]	
		7. [”]	
		8. [”]	
	8. हरदा	[3]1. [हण्डिया]	
		2. मकराई	
		3. राहतगाँव	
		4. टेमागाँव	
		5. सिंवनी	
5. बैतूल	9. उत्तरी बैतूल	1. शाहपुर	
		2. बैतूल	[3][आमला]
		[3]3 [–]	
		4. घोड़ाडोंगरी	
		5. सारनी	

1. अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-1971 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. कालम नं. 3 रेंज क्र. 5, 6, 7, 8 को विलुप्त किया गया- अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-72.
3. अधिसूचना उपरोक्त दि. 20-7-71 द्वारा विलुप्त की गई-(हण्डिया) तथा राजपत्र पार्ट 1, दि. 13-8-1971 पृ. 1012 द्वारा आमला अन्तःस्थापित ।

(1)	(2)	(3)	(4)
	10. दक्षिणी बैतूल	1. चिचोली	
		2. भैंसदेही	
		3. साओल मैण्डिया	
		4. ताप्ती	
		5. मुलताई	
		6. आठनेर	
	11. पश्चिमी बैतूल	1. मोहदा	
		2. टाओड़ी	
		3. सावलीगढ़	
		4. भौरा	
		5. गवासेन	
6. रायपुर	12. उत्तरी रायपुर	1. सोनखान	
		2. दक्षिणी लोआन	
		3. पिथौरा	
			4. सरायपाली
			5. उत्तरी लोआन
			6. महासमुंद
	13. दक्षिणी रायपुर	1. वीरगुनी	
		2. सीतानाड़ी	
		3. रिसगांव	
		4. नागरी	
			5. सिंगपुर
			6. धमतरी
	14. पूर्वी रायपुर	1. गरियाबन्द	
		2. मानपुर	
		3. देवभोग	
			4. छुरा (Chhura)
7. दुर्ग	15. उत्तरी दुर्ग	1. रेंगाखान	
		2. खैरागढ़	
		3. डोंगरगढ़	
			4. तारेगांव
			5. कवरधा
			6. गन्दाई
	16. दक्षिणी दुर्ग	1. छुरा	
		2. लोहारा	
			3. चौकी
			4. पानावरस
			5. कुसुमकासा
			6. बालोद
			7. मानपुरी
8. बस्तर	17. कांकेर	1. कापसी	
		2. भानुप्रतापपुर	

(1)	(2)	(3)	(4)
		3. अंतागढ़	
		4. कोरार	
		5. अमावोदा	
		6. केसकाल	
			7. चारामा
			8. कांकेर
	18. उत्तरी बस्तर	1. परलकोट	
		2. सोनपुर	
		3. नारायनपुर	
		4. छोटी डोंगर	
		5. घौड़ी	
		6. फरसगांव	
		7. उत्तरी मकड़ी	
		8. दक्षिणी मकड़ी	
	19. पूर्वी बस्तर	1. बरसूई	
		2. गीदम	
		3. दरभा	
		4. कांगर	
		5. मचकोट	
		6. जगदलपुर	
		7. मेरदापाल	
		8. भानपुरी	
		9. बकाबन्द	
		10. अमरौती	
		11. कौण्डा गाँव	
	20. दक्षिणी बस्तर	1. दंतेवाड़ा	
		2. टौंगपाल	
		3. सुकमा	
		4. जगरगुण्डा	
		5. कोण्टा	
		6. किस्तराम	
		7. गोला पल्ली	
	21. पश्चिमी बस्तर	1. भैरमगढ़	
		2. बीजापुर	
		3. बसगड़ा	
		4. नेलसनाई	
		5. पामेड़	
		6. अवापल्ली	
		7. माडेड	
		8. भोपाल पट्टनम	
		9. टोईनार	

[म. प्र. असाधारण राजपत्र दि. 10 अगस्त 1970 पृष्ठ 1289-1292 में प्रकाशित]

अनुसूची

अनु. क्र.	अधिसूचना क्र. दि. एवं म. प्र. राजपत्र दिनांक (धारा)	क्षेत्र	वन उपज
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्र. 704-503-X-3-72 दि. 12 जून 1972 (म. प्र. राजपत्र असाधारण 12-6-1972 पृ. 1734) अधिनियम की धारा 1 (3) (ii)	राजस्व जिले- सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चांदाबाखर फारेस्ट डिवीजन) होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर	शीशम (Dalbergia Latifolia) इमारती लकड़ी
2.	क्र. 1290-986-X-3-72 दि. 14 सितम्बर 1972 (म. प्र. राजपत्र 14-9-1972 पृ. 2300) अधिनियम की धारा 1 (3) (ii)	राजस्व जिले- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़	सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona-Grandis) साल (Shorea Roubursta) बीजा- (Pterocarpus Massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

अनुसूची

अनु क्रमांक	अधिसूचना क्र. दि. तथा म. प्र. राजपत्र दि. (धारा)	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के रूप में होना समाप्ति घोषित	विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्दिष्ट वे क्षेत्र जहां यह अधिसूचना लागू होगी
1.	अधिसूचना क्र. 706-503-X-3 दि. 12 जून 1972 (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 12-6 1972 पृ. 1735) धारा 22 A उपधारा (1)	1. महुआ फूल 2. महुआ बीज 3. साज (Terminalia Tomentose) इमारती लकड़ी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राजस्व जिले–सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चांदाबाखर फारेस्ट डिव्हीजन) होशंगाबाद, बैतूल रायपुर, दुर्ग और बस्तर

अनुसूची

नोटीफिकेशन क्र. F-30-31-73-III-I-X दि. 30 जून 1973

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उपधारा (3) के क्लाज (II) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम प्रवृत्त होना- घोषित (म. प्र. असाधारण राजपत्र 30-6-1973 पृष्ठ 2268)

अनु. क्र.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
1.	राजस्व जिले– 1. रायसेन, 2. भोपाल, 3. सीहोर 4. शाजापुर, 5. राजगढ़, 6. विदिशा 7. सिवनी, 8. छिंदवाड़ा	सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) तथा शीशम (Delbergia Latifolia)

नोटीफिकेशन क्र. 18-6-73 -III-I-X दि. 9 नवम्बर 1973 (म. प्र. असाधारण राजपत्र 9-11-1973 पृष्ठ 3636)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन अधिनियम अनुसूची में दिये गये विनिर्दिष्ट क्षेत्र के विनिर्दिष्ट जिलों में विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में लागू होगा।

अनुसूची

अनु.क्र.	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले- रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगाँव, बिलासपुर रायगढ़, सरगुजा, जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, शहडोल, पूर्वी निमाड़ (खण्डवा), होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और छतरपुर	समस्त प्रकार के बांसों के लिए Bamboos of all Species

अधिसूचना क्र. 18-6-73 III-II-X दि. 9 नवम्बर 1973 (म. प्र. असाधारण राजपत्र दि. 9-11-1973 पृ. 3637)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुसूची में बताये विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले–रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल, पश्चिमी निमाड़ (खरगोन), पूर्वी निमाड़ (खण्डवा)	सालई (Salai) (Boswallia Serrate Timber)

अधिसूचना क्र. 30-1-75-3-X-1, दि. 9 अक्टूबर 1975 (मप्र. असाधारण राजपत्र दि. 10-10-1975 पृ. 2302)

धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	खैर (Acacia Catechu)

अधिसूचना क्र. एफ- 31-9-75-3-1-X दि. 9 दिसम्बर 1975 (मप्र. राजपत्र असाधारण दि. 9-12-1975 पृ. 2740)

धारा (1) (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले बस्तर, रायपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, मण्डला, जबलपुर, सीधी, राजनांदगाँव, तथा होशंगाबाद	साल-बीजे (Sal- Seeds)

अधिसूचना क्र. एफ-30-37-76-III-X दि. 24 सितम्बर 1976 (म.प्र. असाधारण -राजपत्र 24-9-1976 पृ. 2867)

– धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिनियम लागू	विनिर्दिष्ट वन उपज
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्व जिले– रीवा, सतना, सरगुजा, (सरगुजा फारेस्ट डिवीजन का उत्तरी और दक्षिणी भाग केवल) इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, रतलाम, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी और गुना	सागौन इमारती लकड़ी (Tectona grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

अधिसूचना क्र. 30-16-1974-E-31-1, दि. 31 अगस्त 1974, (म. प्र. असाधारण राजपत्र दि. 31-8-1974 पृ. 2101)

- धारा 1 (3) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए अधिनियम लागू होना घोषित।

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
1.	1. नरसिंहपुर 2. मण्डला 3. जबलपुर तथा 4. खण्डवा	-सागौन की इमारती लकड़ी (Tectona Grandis) साल (Shorea Robusta) बीजा (Pterocarpus massupium) शीशम (Dalbergia Latifolia)

धारा 2. परिभाषायें - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **'अभिकर्ता'** से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अभिकर्ता;

(ख) **'कोड'** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20, वर्ष 1959);

[1][(ग) विलुप्त ।]

(घ) **'वन उपज'** से अभिप्रेत है [2][सभी जाति के] बाँस, काष्ठ, खैर, (कत्था) (केटेच्यु) खदिरि (कुछ), कुल्लू, गोन्द, धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, खैर गोंद, साल की राल (Resin), सालई की राल (Salai Resin), रोशा घास, रोशा घास का तेल, समस्त रूप में लाख, चपड़ा, महुआ के फूल, महुआ बीज (टोली), चिरौंजी, [3][साल बीज] गुठली, हर्रा और कचरिया, माहुल के पत्ते, माहुल की छाल, फूल बुहारी घास या फूल बुहारी;

(ङ) **'शासकीय पट्टाधारी'**, से अभिप्रेत है कोड की धारा 181 के अधीन राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(च) **'वन'** उपज उगाने वाला, से अभिप्राय–

(एक) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये हों, उगाई गई या पाई गई वनोपज के सम्बन्ध में राज्य सरकार से है और;

(दो) उपर्युक्त (एक) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाई गई या पाई गई वन उपज के सम्बन्ध में–

(क) राज्य सरकार से है, जहाँ वन उपज कोड की धारा 2 के उपधारा (1) की क्लाज (Z-3) में यथा परिभाषित दखल रहित (Unoccupied) भूमि पर उगाई या पाई जावे;

(ख) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले यथास्थिति ऐसे खाते के भूधारी या भाड़ेदार (Tenant) या शासकीय पट्टेदारी (Government Lessee) या ऐसी सेवा भूमिधारी (Holder of Service land) से है जिसमें वन उपज उगती हो या पाई जाती हो या उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से ऐसी वन उपज पर हक का दावा करता हो; और

(ग) किसी ऐसी इकाई में जिसमें की वन उपज उगती हो या पाई जाती हो, मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1986 (क्र. 28, वर्ष 1968) के अधीन भूदान धारक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है, जो समय-समय पर उसके माध्यम से वन उपज पर हक का दावा करता हो;

1. म.प्र. संशोधन अधि. क्र. 16/2002 (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 30-08-2002) द्वारा विलुप्त । पूर्व में यह निम्नानुसार था- (ग) **'समिति'** से अभिप्रेत है धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिये गठित समिति;
2. शब्द "सभी जाति के" अधिनियम क्र. 5 वर्ष 1974 राजपत्र दि. 2-2-74 पृष्ठ 161 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. "साल बीज" अधिसूचना क्र. 1241/21/A, दि. 5-5-75, (राजपत्र दि. 5-5-75, पृ. 119) द्वारा अन्तः स्थापित ।

(छ) **खाता** से अभिप्राय–

(एक) **ऐसे भूमि खण्ड से है** जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो एक ही धारणाधिकारी (Tenure) के अधीन धारित हो; और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टेधारी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथास्थिति भूमि स्वामी या राज्य सरकार से धारण किये गये भूमि खण्ड से है;

(ज) **सेवा भूमि के धारक** से अभिप्रेत है गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(झ) **'अनुज्ञप्त विक्रेता'** (Licence Vendor) से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है, जिसे ऐसी वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(ञ) **'फुटकर विक्रय'** (Retail Sale) से अभिप्रेत है, ऐसे परिमाण से, जिसे की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, अधिक न होने वाली किसी विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय;

(ट) **'विनिर्दिष्ट क्षेत्र'** (Specified Area) से अभिप्राय किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में, ऐसे क्षेत्र से है, जो कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये विनिर्दिष्ट किया हो;

(ठ) **'विनिर्दिष्ट वन उपज'** से अभिप्राय, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी वन उपज से है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये विनिर्दिष्ट की गई हो;

(ड) **'भाड़ेदार'** (Tenant) से अभिप्रेत है कोड के चौदहवें अध्याय अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार (Occupancy Tenant) के रूप में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति;

(ढ) **'भूधारी'** (Tenure Holder) से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता हो और जो कोड के उपबन्धों के अधीन भूमि स्वामी हो, या भूमि स्वामी माना गया हो;

(ण) [1]**'काष्ठ'** (Kashtha) से अभिप्रेत है निम्नलिखित वृक्षों की, खड़ी हुई (Standing) या काट कर गिराई गई समस्त लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो, (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) अथवा नहीं–

1. सागौन (Tectona Grandis)
2. साल (Shorea Robusta)
3. बीजा (Pterocarpus massupium)
4. तिनसा (Ouginia Dalbar goides)
5. शीशम (Dalbergia Latifolia)
6. धावड़ा (Annogeissus Latifolia)
7. साज (Terminalia Tomentosa)

1. मध्यप्रदेश विधान क्र. 28 वर्ष 1983 जो म.प्र. राजपत्र दि. 9 अगस्त, 1983 (पृष्ठ 2264) पर प्रकाशित के द्वारा संशोधित परिभाषा एवं वृक्षों की सूची।

8. महुआ (Madhuca Latifolia)
9. मिर्रा (Chloroxy on Swietenia)
10. करंज (Pongamia Glabra)
11. तेंदू (Diospyros meleroxylon)
12. लेंडिया (Lagerstrosmia Parviflora)
13. सालई बांस (Boswellia Serratta)

(त) **इकाई** - से अभिप्रेत है - विनिर्दिष्ट क्षेत्र का वह सब डिवीजन (उप खण्ड) जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गणित किया गया हो।

(थ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का - जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गई किन्तु परिभाषित नहीं है- वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय वन अधिनियम क्र. 16/1927 में परिभाषित करके दिया गया है।

टिप्पणी धारा 2

वन उपज - धारा 2 (घ) = (D) तथा धारा 1 (3) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969, भारतीय वन अधिनियम-धारा 26 (8) तथा 41- विनिर्दिष्ट वन उपज के अधिहरण की कार्यवाही की वैधता-केवल विनिर्दिष्ट (Specified) वन उपज का अधिहरण (Confiscation) किया जा सकता है, जिस वन उपज के बारे में धारा 1 (3) के तहत 'विनिर्दिष्ट वन उपज' होने का नोटीफिकेशन जारी नहीं हुआ हो वह निर्दिष्टि वन उपज नहीं कही जायगी। साल बीजा निस्सन्देह वन उपज है लेकिन शहडोल जिले के सम्बन्धित गाँव के साल बीजों के बारे में म. प्र. वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 1 (3) के अधीन नोटीफिकेशन जारी होना नहीं पाया जाने से म. प्र. हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. चावला ने ***जयदयाल*** वि. ***स्टेट म.प्र. के मामले पैरा 4 में*** - *(1992 FLT 35)* अधिहरण की कार्यवाही निरस्त कर दी और साल बीज वापस किये गये।

बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 (4) - भारतीय वन अधिनियम की धारा 21- Kendu Leaves - का अभिग्रहण किया गया, आपत्ति यह की गई कि अनुसूची में (KENDU- LEAVES) विनिर्दिष्ट (Specified) नहीं है अन्य वस्तुओं महुआ की पत्तियां तथा साल की पत्तियां, शामिल की गई हैं अतएव विनिर्दिष्ट वन उपज में केन्दू पत्तियां नहीं आती हैं। इस तर्क पर विचार करने के लिए कि क्या-बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 लागू होता है या नहीं ? मामला विचारण न्यायालय में विचार किया जाना था। रिव्हीजन खारिज की गई- ***(प्रहलाद प्रसाद उर्फ लादू साव*** वि. ***स्टेट बिहार*** *1992 FLT 14* ***पटना हाईकोर्ट (रांची बैन्च) (जस्टिस शमीमुल होडा)*** ; इस मामले में एडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने कन्सरवेटर ऑफ फारेस्ट को अधिकारियों की कमेटी बनाकर केन्दू पत्तियां अभिग्रहीत को विक्रय करने का निर्देश दिया और नीलामी में विक्रय आगम सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया। यह आदेश कायम रखा गया। धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में यह विनिश्चय किया गया कि इस मामले में रेंज आफीसर ने seizure केन्दू पत्तियों का किया था। रेंज आफीसर - पुलिस आफीसर नहीं है अतएव धारा 457 Cr P.C. में कोई आवेदन एडीशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता था। ***(पैरा 11 लगायत 16 -*** *1992 FLT 14 (Page 19)* ***पटना हाईकोर्ट; (रिषीनाथ सिंह*** वि. ***स्टेट म.प्र.***- *1992 FLT 109* ***जस्टिस के.एल. इसरानी***- मजिस्ट्रेट को अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने का नोटिस होने पर अधिकारिता धारा 451, 457, द. प्र.सं. नहीं रहती है); (धारा 52- सी (IFA) 1927);

धारा 5 की रोक तब लागू नहीं होगी जब विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं है। विनिर्दिष्ट वन उपज (Specified Forest Produce) जो नहीं हैं भले ही वन उपज हो वह म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1980 के दायरे में नहीं आयगी। ***(स्टेट म.प्र.*** वि. ***निरपाल*** - *1988 (1)* ***म.प्र.वी.नोट*** *44)*।

धारा 3. इकाइयों का गठन- राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगी, जितनी कि वह उपयुक्त समझे, किन्तु विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये भिन्न-भिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सकेगा।

धारा 4. अभिकर्ताओं की नियुक्ति - (1) राज्य सरकार विनिर्दिष्ट वन उपज के अपनी ओर से क्रय तथा व्यापार हेतु, भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये एक या अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगी तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिये नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) [1]किसी सहकारी सोसायटी, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की उपधारा (1) के अधीन अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा और उस दशा में जब पूर्वोक्त में से कोई भी अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये नहीं आता (स्वीकार नहीं करता), तब ही किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अभिकर्ताओं के लिये, नियुक्ति सम्बन्ध निबन्धन शर्त तथा प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जावे।

धारा 5. विनिर्दिष्ट वन उपज के क्रय या परिवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर–

(क) राज्य सरकार

(ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये राज्य सरकार के कोई अधिकारी

(ग) जिस इकाई में वन उपज उगाई हो या पाई जाती हो, उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसे क्षेत्र में न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

स्पष्टीकरण- 1. क्रय में वस्तु विनिमय (Barter) द्वारा किया क्रय सम्मिलित है।

[2]स्पष्टीकरण- 2. राज्य सरकार से या पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता से या अनुज्ञप्त विक्रेता से या धारा 12 (क) के द्वारा किया गया विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय, इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण- 3. खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खाते में उगाई गई या पाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रह का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर ऐसी उपज का क्रय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) महुआ से भिन्न वन उपज उगाने वाला, अपनी उपज का परिवहन इस इकाई के भीतर, जिसमें कि ऐसी वन उपज उगाई जाती हो या पाई जाती हो किसी स्थान से, उस इकाई में के किसी अन्य स्थान को कर सकेगा और महुआ उगाने वाला महुआ को अपने कब्जे में रख सकेगा और उसका परिवहन उस जिले के भीतर के, जहाँ कि महुआ उगाया जाता हो या पाया जाता हो, किसी स्थान से उस जिले के किसी स्थान को कर सकेगा।

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे परिमाण में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे, अनधिक वन

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 28 वर्ष 1983 (राजपत्र दि. 9 अगस्त 1983 पृष्ठ 2264) द्वारा नवीन धारा 4 (2) स्थापित की गई।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 16/1990 (राजपत्र असाधारण दिनांक 21 अगस्त 1990 पृष्ठ 1937 तथा 1938 द्वारा धारा 5 (1) का स्पष्टीकरण II का संशोधन प्रतिस्थापित किया गया। (1990 FLT Part II P. 43-44) (1990 M.P. Law times part IV page 86-87).

उपज का परिवहन, ऐसी वन उपज के क्रय स्थान से उस स्थान तक कर सकेगा जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व्यक्ति के) वास्तविक उपयोग या उपभोग (Consumption) के लिये अपेक्षित हो।

(शक्ति का प्रत्यायोजन - म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 23 अक्टूबर 1969 पृष्ठ 2269 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 6880-X-69 दि. 23 अक्टूबर 1969 के द्वारा धारा 5 (1) (ख) के अधीन समस्त वन अधिकारियों और फारेस्ट गार्ड के ऊपर के रैंक वालों को प्राधिकृत किया है।)

[1][(ग) ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का, जिसका क्रय राज्य सरकार से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये किसी आफिसर या अभिकर्ता से, किसी व्यक्ति ने, राज्य के भीतर ऐसे माल के जिसमें कि किसी विनिर्दिष्ट वन उपज कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिर्माण के लिये या किसी व्यक्ति ने राज्य के बाहर विक्रय के लिये किया हो अथवा जिसका क्रय अनुज्ञप्त विक्रेता ने किया हो, परिवहन ऐसे व्यक्ति द्वारा, उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसी फीस का संदाय किया जाने पर, जैसा कि विहित किया जाय, जारी किये जाने वाले अभिवहन पास के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाड़ियों के लिये फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी, और

(घ) कोई भी व्यक्ति, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निस्तार का अधिकार हो, अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिये ऐसी उपज का, ऐसे परिमाण में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाय, परिवहन कर सकेगा।

(3) विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे पूर्वोक्त शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता को उक्त इकाई के भीतर स्थित किसी भी डिपो में बेच सकेगा :

परन्तु, राज्य सरकार, शासकीय अधिकारी या अभिकर्ता एक बार बेची गई विनिर्दिष्ट वन उपज को पुनः क्रय करने के लिये आबद्ध नहीं होगा।

अधिसूचना

अधिसूचना क्र. एफ-30-7-99-दस-3-दिनांक 11 सितम्बर 2000- मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (2)(ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, विनिर्दिष्ट वनोपज के परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय निम्नानुसार परिवहन अनुज्ञापत्र की शुल्क लेने हेतु स्वीकृत प्रदान करता है जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी :

क्र.	वनोपज का नाम	प्रति ट्रक रुपया	प्रति ट्रैक्टर ट्राली रुपया	प्रति बैलगाड़ी रुपया
1.	विनिर्दिष्ट इमारती काष्ठ	100/-	50/-	10/-
2.	विनिर्दिष्ट जलाउ काष्ठ	50/-	25/-	5/-

1. मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) की धारा 2 के अन्तर्गत अन्तःस्थापित। (म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21-8-90 पृष्ठ 1937, 1938)
धारा 5 की उपधारा (2) में खण्ड 'ग' म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) (राजपत्र दि. 24-1-87 पृष्ठ 322-323 पर प्रकाशित) के द्वारा संशोधित (देखिये म.प्र.ला. टाइम्स 1987 पार्ट VIII हिन्दी सेक्शन, पृ. 30-36);

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	साल बीज व हर्रा	100/-	50/-	10/-
4.	अन्य विनिर्दिष्ट लघु वनोपज (साल बीज, हर्रा को छोड़कर)	25/-	10/-	2/-

(म.प्र. राजपत्र भाग 1, दिनांक 22-9-2000 पृष्ठ 1191 पर प्रकाशित)

टिप्पणी

(1) इस धारा (5) की उपधारा (2) के अन्तर्गत संशोधन म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम क्र. 16/1990 की धारा 2 के अन्तर्गत किये गये है तथा क्र. 15/1987 के अधीन धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत खण्ड 'ग' में संशोधन किये गये हैं। (म. प्र. राजपत्र-असाधारण दि. 24-1-1987 पृष्ठ 321-326)

(2) ***रामदास साहू*** वि. ***स्टेट म.प्र.***- *1982* ***म.प्र. वी. नोट*** *135* ***में. म.प्र. हाईकोर्ट*** ने यह विनिश्चित किया कि आरा मिल की स्थापना के मामले में लायसेन्स वन उपज ट्रांजिट रूल्स, 1961 में अपेक्षित होने के बारे में नियमों के नियम 27 उस दशा में लागू नहीं होंगे जब आरा मिल की स्थापना नियम प्रभावशील होने के दिनांक 1-11-1961 (Promulgated होने के) पूर्व हो चुकी हो- इस रूलिंग का अवलम्ब लेते हुए ***स्टेट म.प्र.*** वि. ***सुरेशचन्द्र बालचन्द्र जैन***- *1991 FLT 112* में जस्टिस एस.डी. झा- म. प्र. हाईकोर्ट ने अपने विनिश्चय के पैरा नं. 4 में यह करार दिया है कि इस मामले में संकल्प खातेगांव म्युनिसिपल कौंसिल का क्र. 302/24-2-1961 अभिलेख पर मौजूद है जिससे नियम 27 के प्रभावी 1-11-1961 के होने के पूर्व ही आरा मिल स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी थी अतएव म.प्र. ट्रांजिट फारेस्ट प्रोड्यूस रूल्स, 1961 के नियम 27 का उल्लंघन नहीं होता है तथा नियम 29 के अधीन दण्डनीय नहीं है।

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5 का यदि उल्लंघन होता है तो धारा 16 के अधीन दण्डनीय ठहराया गया है किन्तु धारा 5 म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की तभी लागू होती है जब इस कानून की धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन वन उपज को विनिर्दिष्ट (Specified) क्षेत्र में उपजाई गई या पाई गई को खरीदने और परिवहन करने से रोक का नोटीफिकेशन विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में जारी कर दिया गया हो कि इस विनिर्दिष्ट वन उपज जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र की इकाई में उपजाई गई या पाई गई हो उसे गवर्नमेन्ट या उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत अन्य अधिकारी राज्य सरकार या एजेन्ट के सिवाय कोई अन्य नहीं खरीदेगा और परिवहन नहीं करेगा।

इस धारा 5 में तीन स्पष्टीकरण (Explanations) दिये गये हैं जो वर्तमान अपील में सारवान् नहीं हैं। धारा 5 की उपधारा (2) में चार अपवाद (Exceptions) इस प्रतिबन्ध को लागू नहीं होने के बारे में दिये गये हैं । ये अपवाद उपधारा 2 के (क =A) तथा (d=घ) इस मामले में विचार योग्य हैं–

(A=क) महुआ के अन्यथा अन्य वन उपज का उत्पादक - उस इकाई के भीतर किसी स्थान से जहां ऐसी उपज उगाई गई है या पाई गई है उस इकाई में किसी अन्य स्थान को अपनी उपज परिवहन कर सकेगा और महुआ का उत्पादक महुआ कब्जे में रख सकेगा तथा उस जिले में किसी भी स्थान को परिवहन कर सकेगा।

(D=घ) कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन किसी वन से किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में किसी विस्तार के अधिकार को रखता है वह अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिए ऐसी मात्रा में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन- जैसी विहित की जायं- परिवहन कर सकेगा।

पक्षकारों के बीच यह भी सामान्य आधार है कि म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241

के अधीन सरकार को सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी-धारा के आशय के लिए अधिसूचित क्षेत्र सरकारी राजपत्र में घोषित करके आदेश द्वारा रोकना है। पड़ियादेह गाँव के बारे में ऐसे आदेश की अधिसूचना जारी नहीं की गई अतएव धारा 241 MPLRC 1959 के अधीन नोटीफाइड ग्राम नहीं है।

मामले में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपनी मिल के लिए इमारती लकड़ी का परिवहन किया अतएव म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है जिसके कारण धारा 16 इसी कानून के अधीन दण्डनीय अपराध का मामला नहीं बनता है - *(स्टेट म.प्र.* वि. *सुरेशचन्द्र बालचन्द्र जैन - 1991 FLT 112) म.प्र. इन्दौर बैंच हाईकोर्ट (जस्टिस एस.डी.झा)* ,

वन विभाग ने जहां यह साबित नहीं किया कि सागौन की इमारती लकड़ी, वन उपज, सागर जिले के लिए विनिर्दिष्ट वन उपज-धारा 1 (3) के अधीन जारी किये गये नोटीफिकेशन के अनुसार थी। वहां ऐसे नोटीफिकेशन के अभाव में धारा 5 के अधीन सागौन के परिवहन या खरीदी पर प्रतिबंध प्रवर्त्तनीय नहीं है- *स्टेट म.प्र.* वि. *निरपाल 1988 (1) म.प्र. वी.नोट 44 = 1988 मनिसा (हाईकोर्ट) नोट 77 (पृ. 285);*

विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन के बारे में कानून में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि जो प्राधिकारियों को ऐसी शक्ति देता हो कि वे कानून के अधीन किसी वन अपराध को कारित करते समय उपयोग में लाये गये यान (Vehicle) या जानवर पशु (Cattle) को अधिहरण (Confiscate) कर सके- धारा 19 Composition of offences के बारे में है जो धारा 19 (3) के अधीन डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को एक हजार रुपये तक प्रतिकर के रूप में रकम स्वीकार करने की शक्ति देती है लेकिन अभियुक्त पर पेनाल्टी अधिरोपित करने की शक्ति नहीं देती है- पेनाल्टी का आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। *(हजारीलाल* वि. *डिवीजनल फारेस्ट आफीसर 1984 म.प्र.लॉ.ज. नोट 44);* (डिवीजनल फारेस्ट आफीसर का आदेश अवैध होने पर जो उसने विनिर्दिष्ट वन उपज के अधिहरण (Confiscation) के बारे में दिया हो उसे विधिवत निरस्त कराया जाना चाहिए। विचारण मजिस्ट्रेट को उस वन उपज को सुपुर्दगी या कस्टडी में देने की अधिकारिता नहीं है- *सन्तोष कुमार मिश्रा* वि. *स्टेट म.प्र.- 1983 ज.ला. ज. 452 = 1983 म.प्र.ला.ज. 406, (स्वरूप चन्द्र* वि.-*स्टेट म.प्र. ए.आय.आर. 1984 म.प्र. 7* (ट्रक के अधिहरण की अधिकारिता डी.एफ.ओ. को धारा 54 (IFA) के अधीन नहीं थी।

अहमद जी वि. *स्टेट म.प्र. -* 1985 *ज.ला.ज.* 482 *(Empress of India* Vs. *Nathu Khan (1882) ILR 4 Allahabad 417-relied on), (कलकत्ता हाईकोर्ट का-ऐनुद्दीन शेख* वि. *क्वीन एम्प्रेस- (1900) ILR - 27- Calcutta 450)* - कलकत्ता की डिव्हीजन बैंच ने धारा 52 से 54 तक - IF Act में संशोधन 1983 स्थानीय पर ध्यान दिया है जो 1-11-1983 को प्रभावशील हुआ है। इस संशोधन का भूतगामी या पूर्व लक्षी (Retrospective Effect) नहीं हो सकता क्योंकि उस मामले में ट्रक का सीजर 1-11-83 के पूर्व किया गया था। इस मामले में भी 1-11-83 के संशोधन के पूर्व- दिनांक 7/10 जुलाई 1982 के दर्मयान यान का अभिग्रहण तथा अधिहरण (Confiscation) अधिकारिता के बाहर किया गया इसलिये आदेश DFO रद्द करणीय है-

सन्तोष कुमार मिश्रा वि. *स्टेट म.प्र. (मि. पिटीशन नं. 1633 of 1982* (j) निर्णीत दिनांक 28 जुलाई 1990 - जस्टिस बी.सी. वर्मा तथा जस्टिस डी. एम. धर्माधिकारी-म. प्र. हाईकोर्ट- *1991 FLT (Summary) 19,* - (धारा 55 IF Act)

म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 - धारा 5, 12 तथा 13 - विनिर्दिष्ट वन उपज की बिक्री तथा खरीद के मामले में अधिनियम राज्य सरकार की मोनोपॉली (एकाधिकार) का सृजन करता है। पश्चातवर्ती बिक्री पर लेव्ही निजी व्यक्ति (Private individual) पर अधिरोपित करना वैध घोषित किया गया। *ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड* वि. *म.प्र. स्टेट को-आपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि., 1991 FLT (Summary) 18 म.प्र. डीबी हाईकोर्ट (जस्टिस एस.के. झा तथा जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी डी.बी.) ; (M.P. No. 2369/83- relied on);= 1991 (1) म.प्र.वी.नोट `86) = 1991 FLT (Sum.) 18* ।

[1][धारा 6. (लुप्त)]

[1][7. **सरकार मूल्य नियत करेगी-** राज्य सरकार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफिसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया जाएगा :

परन्तु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाएगा :-

(क) विनिर्दिष्ट वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन नियत किये गये हों;

(ख) इकाई में की विनिर्दिष्ट वन-उपज की क्वालिटी;

(ग) इकाई में उपलभ्य परिवहन-सुविधाएं;

(घ) परिवहन का खर्च; और

(ङ) इकाई में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रचलित मजदूरी का सामान्य स्तर ।]

1. धारा 6 का लोप किया गया तथा धारा 7 प्रतिस्थापित, संशोधन अधिनियम क्र. 16/2002 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 30 अगस्त 2002 द्वारा संशोधित । पूर्व में यह निम्नानुसार थी-

धारा 6. मंत्रणा (सलाहकार) समिति का गठन- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राजस्व आयुक्त के सम्भाग में विक्रय के हेतु प्रस्थापित की जाने वाली प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज राज्य सरकार अथवा उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा कौन से उचित तथा युक्तियुक्त मूल्य पर क्रय की जाय, इसे निश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु, राज्य सरकार प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के लिये, राज्य के प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिये एक मंत्रणा समिति गठित करेगी जिसमें अधिक से अधिक ऐसे नौ सदस्य होंगे, जो कि समय-समय पर अधिसूचित किये जावेंगे :

परन्तु-

(एक) उन सदस्यों में से दो सदस्य ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापारियों में से या ऐसे माल के, जिसमें कि ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, विनिर्माताओं में से होंगे ।

(दो) कम से कम दो सदस्य ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के उन उगाने वालों में से होंगे जो कि राज्य सरकार से भिन्न हों ।

(तीन) एक सदस्य, संसद के उन सदस्यों में से होंगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हों और जो अनुसूचित जन-जाति के हों, और

(चार) एक सदस्य, राज्य विधान मण्डल के उन सदस्यों में से होगा, जो अनुसूचित जन-जाति के हों ।

(2) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध में सलाह दे जो कि उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जावें ।

(3) समिति का काम काज ऐसी रीति से संचालित किया जावेगा जो कि विहित की जावे ।

(4) समिति के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो कि विहित किये जायें ।

(5) समिति राज्य सरकार को अपनी सलाह ऐसी कालावधि के भीतर देगी जैसी कि राज्य सरकार प्रत्येक समिति के लिये उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे ।

धारा 7. राज्य सरकार समिति के परामर्श से मूल्य निर्धारित करेगी- राज्य सरकार धारा 6 के अधीन गठित की गई समिति से परामर्श करने के पश्चात् वह मूल्य नियत करेगी जिस पर कि राजस्व आयुक्त के संभाग में विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके किसी प्राधिकृत आफिसर या अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया जावेगा और वह उसे राजपत्र में, तथा ऐसी अन्य रीति में, जो कि विहित की जावे, ऐसी तारीख तक जो कि उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसके लिये कि समिति गठित की गई हो, 30 जून के बाद की न हो, प्रकाशित करेगी और इस प्रकार नियत किया गया मूल्य ऐसे, कैलेन्डर वर्ष की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा तथा वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जावेगा :

परन्तु यदि समिति धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर या 15 दिन से अनधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार अनुज्ञात करे सलाह न दे तो राज्य सरकार समिति के परामर्श के बिना ही मूल्य नियत करने के लिये अग्रसर हो सकेगी :

परन्तु यह और भी, कि भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये भिन्न-भिन्न मूल्य नियत किये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जावेगा :-

(क) विनिर्दिष्ट वन उपज के मूल्य जो इकाई में समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान प्रचलित रहे हों या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियत किए गये हों,

(ख) इकाई में की वन उपज की क्वालिटी,

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें,

(घ) परिवहन का खर्च, और

(ङ) इकाई में प्रचलित अकुशल मजदूरों की मजदूरी का सामान्य स्तर ।

धारा 8. डिपो का खोला जाना तथा मूल्य सूची आदि का डिपो पर प्रकाशन- प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में, तथा ऐसे स्थानों पर, जिनको कि राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट वन उपज उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देश दे, डिपो (क्रय केन्द्र) स्थापित किये जावेंगे और विनिर्दिष्ट वन उपज की मूल्य सूची, जो कि धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई हो, तथा काम काज के घन्टे, उस सूचना फलक पर, प्रमुख रूप से सम्प्रदर्शित (Displayed) किये जावेंगे, जो कि उस प्रयोजन के लिये प्रत्येक ऐसे डिपो में रखा गया हो।

धारा 9. राज्य सरकार या अभिकर्ता विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय करेगा- (1) राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता काम काज के घन्टों में डिपो में विक्रय के लिए लाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज की धारा 7 के अधीन नियत किये गये मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगा :

परन्तु राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज का क्रय करने से इंकार कर दे, जो कि उसकी राय में उपभोग के प्रयोजन के लिये या विनिर्माण के हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाने के लिए या व्यापार के लिये उपयुक्त न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसकी विनिर्दिष्ट वनोपज के अस्वीकार किये जाने के कारण व्यवस्थित हो, ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर, जिसमें कि विनिर्दिष्ट वन उपज लगाई गई हो या पाई गई हो, अधिकारिता रखने वाले खण्डीय वन अधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये अन्य अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति खंडीय वन आफिसर या ऐसा अन्य अधिकारी विहित रीति में जाँच करेगा, और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज के अस्वीकार किये जाने को अनुचित समझे, तो वह—

(क) यदि वह प्रश्नगत विनिर्दिष्ट वन उपज को अब भी उस विनिर्माण के लिये, जिसमें ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने का निर्देश दे सकेगा और व्यथित व्यक्ति को ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, दिलवा सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि प्रश्नगत वन उपज इस बीच, उस विनिर्माण के लिये, जिसमें कि ऐसी वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व्यापार के लिये अनुपयुक्त हो गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि व्यथित व्यक्ति को किसी ऐसी रकम का, जो कि उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसी उपज के लिये देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के लिये नुकसानी के रूप में ऐसे अतिरिक्त प्रतिकर का जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य का बीस प्रतिशत से अधिक न हो, के भुगतान का आदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि, यदि राज्य

सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय के लिये प्रस्तुत की गई उपज राज्य सरकार के वनों की भूमियों की है, तो वह उसको अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण सम्बन्धी प्रभारों का यदि कोई हो, जैसे कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, संदाय करने में कोई रुकावट आती है :

परन्तु किसी विवाद की दशा में खंडीय वन अधिकारी, या ऐसा अन्य अधिकारी जो कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इस सम्बन्ध में विशेष रूप में (Specifically) सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा और उसका निबटारा करेगा।

[शक्ति का प्रत्यायोजन- मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अधिसूचना क्र. 4247/दस 69 दिनांक 1 अगस्त, 1969 राज्य शासन व उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 9 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त परिक्षेत्र अधिकरियों को (वन उपज के परिक्षेत्र अधिकारियों सहित) उक्त धारा की उपधारा (2) के आयोजन के लिये सशक्त किया है।]

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - विनिर्दिष्ट वन उपज को उगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाई गई वन उपज का परिमाण ऐसे परिमाण से जो कि विहित किया जाय, अधिक हो जायेगा, स्वयं को विहित रीति में रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

धारा 11. विनिर्दिष्ट वन उपज के निर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - (1) प्रत्येक निर्माता जो विनिर्दिष्ट वन उपज को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाता है, और प्रत्येक व्यापारी या कोई उपभोक्ता, जिसका यथास्थिति वार्षिक उपयोग आवश्यकता या उपभोग ऐसे परिमाण से, जो विहित किया जाय, से अधिक हो, तो ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, ऐसी घोषणायें, लेखे तथा विवरणियाँ ऐसे प्ररूप प्रारम्भ में, तथा ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे अन्तरालों पर, जो कि विहित किये जावें, प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी - धारा 11

D.F.O. को अधिकारिता नियम 7 (2) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 तथा म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 11 के अधीन निर्माताओं को उनके आवेदन पर रजिस्टर करने की D.F.O. को अधिकारिता प्राप्त है और यदि वह ऐसा करने में त्रुटि करता है तो यह माना जायगा कि उसने निहित कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है- *(हरवंश लाल* वि. *स्टेट म.प्र., 1983 म.प्र. ला.ज. 1 नोट 7),*

धारा 12. विनिर्दिष्ट वन उपज का व्ययन (disposal)- इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उसके अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट वन उपज ऐसी रीति में जैसी राज्य सरकार निर्देश दे बेच दी जायेगी या उसका अन्यथा व्ययन कर दिया जायेगा।

[1]**[धारा 12 (क) विनिर्माता, व्यापारी, या उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त विनिर्दिष्ट वन उपज का पुनः विक्रय-** (1) कोई भी ऐसा विनिर्माता जो किसी वन उपज का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है या विनिर्दिष्ट वन उपज का कोई व्यापारी या उपभोक्ता जिसके

1. धारा 12(क) म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 1986 (15 वर्ष 87) (राजपत्र असाधारण म.प्र. दि. 24-1-87 पृष्ठ 322-323) द्वारा अन्तःस्थापित। (देखिए म.प्र.लॉ टाइम्स 1987 पार्ट VIII पृ. 30-36).

पास ऐसी उपज उसके उपयोग आवश्यकता या उपभोग के पश्चात् अतिरिक्त बची रह जाती हो, उसका पुन: विक्रय राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी आफिसर (जो इस धारा में इसके पश्चात् प्राधिकृत आफिसर के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता जो अपने पास अतिरिक्त बच रही विनिर्दिष्ट वन उपज को बेचने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर को लिखित में आवेदन करेगा जिसमें–

(एक) बेची जाने की आशयित विनिर्दिष्ट वनोपज के परिमाण का,

(दो) उस दर का जिस पर ऐसी उपज विक्रय हेतु प्रस्थापित की जाती है, और

(तीन) उस व्यक्ति का जिसको ऐसी प्रस्थापना की गई है, स्पष्ट तौर पर कथन किया जायेगा।

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसा कोई भी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, जो उपधारा (1) में वर्णित ऐसी वन उपज का क्रय करने का आशय रखता हो, उसका क्रय राज्य या प्राधिकृत आफिसर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता अनुज्ञा के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर को लिखित आवेदन करेगा, जिसमें विक्रेता का नाम का, क्रय की जाने वाली ऐसी वन उपज के परिमाण का तथा उसके लिये तय पाई गई दर का स्पष्ट तौर पर कथन किया जाएगा।

[1][(3) विनिर्दिष्ट वन उपज का पुनर्विक्रय करने के लिये उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र तथा ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय करने के लिये उपधारा (2) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार या प्राधिकृत आफिसर, क्रेता द्वारा ऐसी फीस का जो विहित की जाय, भुगतान किया जाने पर दोनों को लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।]

टिप्पणी धारा 12

1. म. प्र. राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन के 190 खण्डों को सुरक्षित रखे जाने की नीति को उचित ठहराते हुए म. प्र. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने करार दिया कि राज्य सरकार - साल के बीज के तेल निकालने वाले उद्योग के सम्बन्ध में आरक्षण की नीति अपनी सकती है *(म.प्र. आइल एक्सट्रेक्शन प्रा. लि.* वि. *म.प्र. राज्य* - *1983 म.प्र. ला.ज. 579)*।

2. संशोधन- धारा 12 (क) (3) संशोधन अधिनियम म. प्र. क्र. 16/1990 (म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21 अगस्त - 1990 पृष्ठ 1937/1938) द्वारा प्रतिस्थापित की गई। (म. प्र. ला. टाइम्स पार्ट IV (1990) पृष्ठ 86-87)

धारा 13. वन उपज का फुटकर विक्रय- (1) कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय में इस धारा के अधीन मन्जूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही स्वयं को लगावेगा अन्यथा नहीं।

(2) राज्य शासन, राज्य के भीतर, विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय को सुगम बनाने के प्रयोजन के लिये, उतने व्यक्तियों को अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, जितने कि वह उपयुक्त समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट वनोपज के फुटकर विक्रय में स्वयं को लगाना चाहता हो, ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, आवेदन पत्र देगा।

(4) विहित अधिकारी, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर,

1. संशोधन अधिनियम क्र. 15/1987 (राजपत्र असा. 24-1-87 पृ. 321-26) द्वारा संशोधित।

जो कि विहित की जाय, ऐसे निबन्धनों (Terms) तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो कि विहित की जाय, अनुज्ञप्ति मन्जूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा।

धारा 14. शक्तियों का प्रत्यायोजन- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी शक्ति या कृत्यों में से कोई भी शक्ति या कृत्य सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी भी आफिसर या प्राधिकारी (Authority) को प्रत्यायोजित (Delegate) कर सकेगी, जो कि उसे ऐसी शर्तों से तथा निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुये, जैसे कि राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग में लायेगा या उसका पालन करेगा।

टिप्पणी धारा 14

नोटीफिकेशन क्र. 18-1-87-X-3(1) दिनांक 26 दिसम्बर, 1990- (मप्र. राजपत्र असाधारण दि. 28-12-90 पेज 5109) के अधीन राज्य सरकार ने धारा 15 (1) की शक्तियों के अधीन समस्त वन अधिकारियों को उक्त धारा के आशय के लिए प्राधिकृत किया है

नोटीफिकेशन क्र. 18-1-87-X-3 (2) दि. 26 दिसम्बर, 1990- धारा 15(2) के आशय के लिये राज्य सरकार ने समस्त वन अधिकारियों को प्राधिकृत किया है (मप्र. राजपत्र असाधारण, दि. 28 दिसम्बर, 1990 पृष्ठ 5110)

नोटीफिकेशन नं. 18-1-87-X-3 दिनांक 26 दिसम्बर, 1990- धारा 15(3) के आशय के लिये सहायक वन संरक्षकों को जो सब डिवीजन के प्रभार में हों तथा समस्त डिवीजनल फारेस्ट आफीसर्स को जो क्षेत्राधिकार के प्रभार में हों-उन्हें राज्य सरकार ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया है-(मप्र. राजपत्र असाधारण दि. 28-12-1990 पेज 5110)

नोटीफिकेशन क्र. F-18-3-87-X-3 दिनांक 6 जनवरी, 1990- राजपत्र मप्र. असाधारण दि. 8 जनवरी 1990 पेज 1 के अधीन राज्य सरकार ने समस्त सहायक वन संरक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जो सब डिवीजन के प्रभार में हो, को धारा 15(3) के आशय के लिये प्राधिकृत किया है।

नोटीफिकेशन क्र. 4248-X-69 दिनांक 1 अगस्त 1969 (राजपत्र मप्र. (असाधारण) दि. 1-8-1969 पृष्ठ 1917-1918) के द्वारा धारा 14 की प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये–

(1) मप्र. राज्य सरकार ने अध्यादेश की धारा (3) के अधीन उपज इकाई गठित करने की शक्ति- एवं राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से प्रत्यायोजित शक्ति को प्रयोग करने का प्राधिकार- वन संरक्षक, वन उपज, भोपाल को प्रदान किया।

(2) अध्यादेश की धारा 4 के अधीन एजेन्टों को नियुक्त करने तथा नियुक्ति निरस्त करने की शक्ति - तथा प्रत्यायोजित शक्ति को राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से प्रयोग करने का प्राधिकार- क्षेत्रीय सरकिल के प्रभारी वन संरक्षक को प्रदान किया है।

(3) अध्यादेश की धारा 8 के अधीन डिपो खोले जाने के निर्देश देने की शक्ति डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को प्रदान की है।

(4) अध्यादेश की धारा 19 (1) के अधीन अपराधों की प्रशमन करने की शक्ति - क्षेत्रीय सरकिल के वन संरक्षक- (कन्सरवेटर ऑफ फारेस्ट) तथा डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को प्रदान की गई है ।

नोटीफिकेशन क्र. 6880- दस- 69 दिनांक 23 अक्टूबर 1969 (राजपत्र मप्र. (असाधारण) दि. 23 अक्टूबर 1969) के अधीन राज्य सरकार ने धारा 5 (1) (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज को क्रय करने के लिए सभी वन अधिकारियों को तथा फारेस्ट गार्ड के ऊपर के रैंक के वन अधिकारियों को प्राधिकृत किया है।

नोटीफिकेशन क्र. 4247 -A-X-69 दि. 1 अगस्त 1969 (राजपत्र (असाधारण) मप्र. दि. 1-8-1969) के अधीन राज्य सरकार ने धारा 15 (1) के आशयों के लिए समस्त वन अधिकारियों को उनके संबंधित

क्षेत्राधिकारों में प्राधिकृत किया है।

(नोटीफिकेशन क्र. F-18-3-87-X-3- दि. 6 जनवरी 1990 राजपत्र (असाधारण) दि. 8 जनवरी, 1990 पृष्ठ 1)

म. प्र. राज्य सरकार (वन विभाग) भोपाल की अधिसूचना क्र. 18-1-87-X-3 (1) तथा (2) दि. 26-12-1990 के अनुसार अधिनियम की धारा 15 (1) तथा 15 (2) के अधीन समस्त वन अधिकारियों को प्राधिकृत करती है तथा 15(3) के अधीन सहायक वन संरक्षक सब डिवीजन के प्रभारी को तथा D.F.O. को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

धारा 15. अधिहरणीय सम्पत्ति की तलाश, अभिग्रहण और उसके लिये प्रक्रिया:- (1)[1][कोई वन अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे या कोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी] अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है-

(1) विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन के लिये उपयोग में लाये गये या लाये जाने के आशयित किसी व्यक्ति नाव, गाड़ी, (Vehicle) या पात्र (Receptacle) को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा किसी स्थान में प्रवेश कर उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी विनिर्दिष्ट वनोपज के बारे में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया है, तब ऐसा [2][कोई वन अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे या सहायक उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस आफिसर] ऐसी विनिर्दिष्ट वनोपज को, ऐसे समस्त औजारों, नावों, गाड़ियों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं सहित अभिग्रहीत कर सकेगा जिसका कि उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा अपराध करने में किया है।

[3](3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण (Seize) करने वाला कोई आफिसर या व्यक्ति ऐसी समस्त सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा, कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है और अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को यथा-शक्य शीघ्र सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के आफिसर के, जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत आफिसर के नाम से निर्दिष्ट है) समक्ष पेश करेगा या जहाँ परिमाण या प्रपुंज (Bulk) को या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सके, जहाँ वह अभिग्रहण की बाबत रिपोर्ट प्राधिकृत आफिसर को करेगा या जहाँ अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियाँ तुरन्त करना आशयित हों, वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को करेगा जो उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जिसके कि कारण अभिग्रहण किया गया है:

1. अधिसूचना क्र. 18-1-87-X-3(1)(2)(3) दि. 26-12-90 के लिए म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-12-1990 पृष्ठ 5109, 5110 (धारा 15(1)(2)(3) के प्राधिकार)
   नोट- म.प्र. शासन (वन विभाग) भोपाल की अधि. क्र. 18-1-87-X-3 (1) & (2) दि. 26-12-90 के अनुसार अधि. की धारा 15 (1) एवं 15 (2) के अन्तर्गत समस्त वन अधिकारियों को अधिकृत किया गया। संशोधन अधि. क्रमांक 16/1990 (21-8-90)
2. [धारा 15(1) तथा (2) तथा 15(7) में संशोधन म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) द्वारा किये गये] (म.प्र. राजपत्र असा. 21-8-90 पृ. 1937) (मध्यप्रदेश लॉ टाइम्स- 1990, पार्ट IV, Page 86-87 देखिए)
   [म.प्र. शासन वन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 18-7-85 दस (3) (2) दि. 20-8-87 के द्वारा धारा 15 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर समस्त सहायक उप निरीक्षक से अनिम्न समस्त पुलिस अधिकारियों को अधिकृत करता है। राजपत्र दि. 21-8-87 पृष्ठ 1646]
3. धारा 15(3) के अन्तर्गत-अधिसूचना क्र. 18-1-87-X-3 दि. 26 दिसम्बर 1990 के अनुसार समस्त सहायक वन संरक्षक सब डिवीजन के प्रभारी तथा D.F.O. टेरीटोरियल डिवीजन के प्रभारी (DFOs) को प्राधिकृत किया गया है।

परन्तु जब विनिर्दिष्ट वन उपज जिसके बारे में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास किया जाता है सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि आफिसर परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को यथा-शीघ्र दे देता है, तब तो वह पर्याप्त होगा।

(4) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ प्राधिकृत आफिसर का यथा-स्थिति विनिर्दिष्ट वन उपज के अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है, कि उसके बारे में अपराध किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उस विनिर्दिष्ट वन उपज को जो इस प्रकार अभिग्रहीत की गई है, समस्त औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तुओं के साथ जिनका कि उपयोग ऐसे अपराध करने में किया गया है अधिहृत कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति असम्यक् विलम्ब (Undue delay) के बिना वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें कि विनिर्दिष्ट वन उपज अभिग्रहीत किया गया है।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहृत (Confiscate) करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा तब तक कि प्राधिकृत आफिसर–

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है। विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूपों में नहीं भेज देता।

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे वह सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई, तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत आफिसर को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं देता।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे देता, और

(घ) अभिग्रहण करने वाले आफिसर या व्यक्ति की तथा उस व्यक्ति या व्यक्तियों की, जिसे या जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस प्रयोजन के लिये नियत की जाने वाली तारीख को नहीं कर लेता।

(6) उपधारा (4) के अधीन किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं के (जो अभिग्रहीत की गई विनिर्दिष्ट वन उपज से भिन्न हों) अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जावेगा यदि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत आफिसर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के किये जाने के लिये पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियाँ (Precautions) बरती गई थीं।

[(7) इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं जप्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 वर्ष 1974) की धारा 102, 103 के तलाशी एवं जप्ती सम्बन्धी प्रावधान, जहाँ तक लागू हों, लागू होंगे।]

टिप्पणी धारा 15

A- संशोधन धारा 15 (1) (2) (7) में संशोधन अधि. क्र. 16/1990 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 21-8-1990 पृ. 1937-1938 द्वारा किया गया।

(1) वन अपराध कारित करने में प्रयोग में लाये गये यान (Vehicle) के मालिक ने जहां वन अपराध कारित करने की जानकारी का अभाव रहना तथ्य के रूप में प्रमाणित कर दिया हो वहां Vehicle यान का अधिहरण (Confiscate) नहीं किया जा सकता- ***स्टेट म.प्र.*** वि. ***राम गोपाल शर्मा-*** *1991 (1)* ***म.प्र.वी.नोट*** *66 = 1991 FLT (Summary) 16* ***म.प्र. हाईकोर्ट - (जस्टिस गुलाब सी.गुप्ता)*** ने विनिश्चय किया :-

"Section 15 of Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969, as amended by the amending Act 1987, entitles the authorised officer to confiscate not only the forest produce, but also the vehicle carrying the same, in case the forest produce is found to be involved in a forest offence. An authorized officer will, however, not order confiscation of the vehicle, if the owner thereof proves that he was not aware of the commission of the offence"- स्पष्टत: वन उपज के संबंध में अपराध कारित करने में प्रयुक्त हुए यान (vehicle) के बारे में उसके मालिक को पता नहीं था। इस बात का समाधान- कारक प्रमाण भार यान के मालिक पर होगा किन्तु जहां मालिक यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी जानकारी या मौन सहमति के बिना यान का प्रयोग हुआ और इस समाधान को प्राधिकारी मन माने ढंग से मानने से इन्कार नहीं कर सकता उसे युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग करना होगा तथा विभाग भी इसके खण्डन साक्ष्य में विपरीत साबित करने के दायित्व से मुक्त नहीं रह सकता। ड्राइवर तथा हैल्पर ट्रक के कथनों से साबित है कि इमारती लकड़ी ट्रक के मालिक की नहीं थी और उसकी पहल पर किसी जगह पर ट्रक को ले जाया गया। सेशन्स जज एडीशनल के द्वारा किये विनिश्चय को बहाल रखा गया।

(पुनः नीलाम विक्रय पर अन्तर मूल्य की अतिरिक्त लेव्ही वैध है– ***ओसवाल एग्रो मिल्स*** वि. ***स्टेट को आ.*** *(1991) (1)* ***म.प्र.वी.नो.*** *86 = 1991 FLT (Sum) 18* ***म.प्र. डीबी हाईकोर्ट)***

मद्रास हाईकोर्ट की ***जस्टिस पद्मिनी जेसूदुराई- ने पी.सी. पोकर*** वि. *स्टेट- 1994 FLT 74* में धारा 55 (IF Act) के अधीन यह करार दिया है कि चूंकि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि क्या अपराध, मालिक द्वारा नियोजित कर्मकार या किसी अन्य द्वारा यान के मालिक की जानकारी या मौन सहमति "Without the knowledge or connivance of the owner of the vehicle" किया गया है ? इसके लिए जहां यान का मालिक अभियुक्त नहीं है वहां उसको नोटिस देकर स्पष्टीकरण तथा प्रमाण देने का अवसर एक अलग न्यायालयीन जांच में देना होगा। इस जांच का स्कोप सीमित रहेगा इसमें पक्षकार मामले में विवादित विषय को recanvass नहीं करेंगे, बिना ऐसी जांच किये यान के अधिहरण करने की कार्यवाही अवैध होगी (पैरा 7-A तथा 8) - 1994 FLT 74 (मद्रास), *(Man & Company V. Forest Range Officer 1967* ***मद्रास लॉ जर्नल (क्रिमिनल)*** *268-* ***मद्रास डीबी)*** यान के यदि मालिक को अवसर दिया जाता तो वह कोर्ट का समाधानकारक प्रमाण अपनी जानकारी नहीं होने का पेश करता, पैरा 3 में उद्धृत 1994 FLT 75) (पैरा 9- 1994 FLT 74 (at page 77)- Knowledge being a mental state can not be proved by direct evidence. It has to be inferred from a totality of circumstances") मालिक यान की जानकारी नहीं होने का यह पहलू सामान्यत: विचारण के दौरान नहीं आ पाता जब तक कि यान का मालिक मामले में जहां अभियुक्त न रहा हो इसलिए separate enquiry की सीमित अपेक्षा की गई है, ***(स्टेट पब्लिक प्रासीक्यूटर*** वि. ***चैलेन दुराई*** *1986* ***मद्रास लॉ वीकली (क्रिमिनल)*** *39-* मामले में यद्यपि एम्बेसेडर कार का मालिक शनाख्तगी के अभाव में बरी हो गया था फिर भी कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने वन अपराध कारित करने में प्रयोग की गई उक्त कार को अधिहरण के आदेश को कन्फर्म कर दिया है)

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फारेस्ट रेंज आफीसर ***मदनापल्ली*** वि. ***प्रीतम सिंह तथा अन्य*** - *1990 FLT 162* ***डीबी आंध्र प्रदेश*** में यह विनिश्चय है कि यदि एक बार जहां यह साबित होता है कि वन उपज प्रतिषिद्ध वस्तु के परिवहन में अपराध कारित करने में यान का प्रयोग हुआ तब यान के मालिक पर यह प्रमाण भार Shift हो जाता है कि वह अपनी जानकारी या एजेन्ट की जानकारी या मौन सहमति

के बिना- अपराध में यान के किये गये प्रयोग को साबित करे- आंध्र प्रदेश फारेस्ट एक्ट 1976-धारा 44 (2-C) अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार देती है और उसे प्रमाण देना होता है कि उसने यान के इस प्रकार अपराध में प्रयोग नहीं किये जा सकने के बारे में यथा साध्य युक्तियुक्त सावधानी बरती थी (पैरा 15) तथा यान के प्रभारी की भी जानकारी या सहमति नहीं रही थी- ***शेख रहीम*** वि. ***स्टेट आंध्र प्रदेश*** *(1976) (Vol. 35)* ***आंध्र लॉ टाइम्स पृ. 357- ये रूलिंग यद्यपि - पैरा*** *13 - 1990 FLT 162 (165)* पर निर्दिष्ट किया गया है, इसको धारा 6-B (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में प्रयुक्त यान आदि के अधिहरण के सम्बन्ध में तत्सम न्याय दृष्टान्त माना गया है। ***(स्टेट म.प्र.*** वि. ***रामगोपाल शर्मा*** *(1991) 1* ***म.प्र.वी.नो.*** *66* ***हाईकोर्ट म.प्र.)***

धारा 15 (6) (यथा संशोधित 1986)- अवैध रूप से ट्रक Timber ले जाते हुए अधिहृत (Confiscated) किया गया- यह प्रमाण ट्रक मालिक पर है कि वह यह साबित करे कि यान (Vehicle) को उसकी जानकारी के बिना या उसकी मौन सहमति के बिना प्रयोग किया गया- ***(स्टेट म.प्र.*** वि. ***सुरेश कुमार*** *1997 (1) JLJ 315* ***सुप्रीम कोर्ट)***

धारा 15-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील- (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, या ऐसी आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो, तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस वन वृत्त के, जिसमें वह वन उपज अभिग्रहीत की गई हो, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा, जिसके साथ ऐसी फीस दी जायेगी और जो ऐसे रूप में होगी जैसा कि विहित किया जाय और उसके साथ अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

स्पष्टीकरण- (1) इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जावेगा जो अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रही हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिग्रहण करने वाले आफिसर को या व्यक्ति को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी यदि कोई हो, भी आता है) जिसका कि अपील प्रधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश से प्रतिकूलता प्रभावित होना संभाव्य है, स्वप्रेरण से की जाने वाली कार्यवाही की सूचना अधिहरण के आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर स्वप्रेरणा (Suo-motu) से दे सकेगा और अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले का अभिलेख मंगा सकेगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना, अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले कोई आफिसर या व्यक्ति को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसका कि पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन (waive) कर दे या जिसे अपील की सुनवाई की तारीख अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील किये जाने की, स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही किये जाने के बारे में प्राधिकृत आफिसर को लिखित सूचना देगा।

(4) अपील अधिकारी, अधिहरण की विषय-वस्तु की अभिरक्षा, उसके परिरक्षण (Preservation) या व्ययन (Disposal) (यदि आवश्यक हो) के लिये अंतरिम (Interim)

स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे, उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हों।

(5) अपील प्राधिकारी मामले की प्रकृति या अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय अपील प्राधिकारी, अभिलेख का परिशीलन (Peruse) करेगा और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता की मार्फत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत उनकी सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने, या उसे उपांतरित (Modification) करने का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व, अपील प्राधिकारी, यदि अपील के उचित विनिश्चय के लिये या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये, यह आवश्यक समझा जाता है, अतिरिक्त जाँच या तो स्वयं कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करवा सकेगा, और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ उद्भूत हो प्राख्यान या खण्डन करने के लिये पक्षकारों को शपथ-पत्र फाइल करने के लिये भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों का सबूत शपथ-पत्र द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी, पारिमाणिक स्वरूप (Consequential Nature) के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(8) अन्तिम आदेश की, या पारिमाणिक स्वरूप आदेश की प्रति, अनुपालन के लिये या अपील अधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत आफिसर को भेजी जावेगी।

धारा 15–ख. अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण- (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या पारिमाणिक स्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

स्पष्टीकरण- (1) इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जेयाग जो अपील अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अन्तिम आदेश की या किसी पारिमाणिक स्वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की प्रतियाँ अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत आफिसर को अनुपालन के लिये, या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने के लिये, या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी, जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित

किया जाये।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के लिये, सेशन न्यायालय उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन से किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

धारा 15–ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन (Bar)- उस अपराध का जिसके कारण उस सम्पत्ति का, जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय अधिकरण या प्राधिकारी (जो यथास्थिति धारा 15, 15-क, तथा 15 ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत आफिसर, अपील अधिकारी, सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके कि बारे में धारा 15 के अधीन कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं :

परन्तु सम्पत्ति के व्ययन (disposal) के लिये कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का, जिसके कारण सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

स्पष्टीकरण- (1) जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहाँ ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबन्ध के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों को प्राप्त हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्जन ऐसे समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी आफिसर को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 15 के अधीन अभिग्रहीत (Seized) की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त किये जाने का निर्देश किसी भी समय दें।

धारा 15-घ. सम्पत्ति का अधिहरण जब कि वह उपज सरकार की सम्पति न हो- ऐसी समस्त विनिर्दिष्ट वन उपज, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तथा समस्त औजार, नावें, गाड़ियां, रस्सें, जंजीरें या कोई अन्य वस्तुएँ, जिनकी प्रत्येक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है अपराधी को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 15, 15-क, 15-ख, 15-ग के उपबन्धों

के अध्यधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

[1]**धारा 16. शास्ति-** यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो—

(क) वह कारावास से, जो [1][दो वर्ष] तक का हो सकेगा या जुर्माना से जो [1][दस हजार रुपये] तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) उस वन उपज को जिसके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उसके ऐसे भाग का जैसा कि न्यायालय को उचित प्रतीत हो, सरकार के पक्ष में समपहरण (Forfeit) किया जा सकेगा :

परन्तु यदि न्यायालय की राय हो कि यथास्थिति सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट वन उपज या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में समपहरण का निर्देश देना आवश्यक नहीं है तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसा करने से विरत रह सकेगा।

धारा 17. प्रयत्न (चेष्टा) तथा दुष्प्रेरण (Attempt and abetment)- किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित (Abets) करे तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

धारा 18. अपराधों का संज्ञान (Cognizance of Offences)- खंडीय वन अधिकारी से अनिम्न (Not below the rank of a Divisional Forest Officer or by any other officer) श्रेणी के किसी वन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य आफिसर द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाये, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे की अपराध बनता हो, की लिखित रिपोर्ट के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

टिप्पणी धारा 18

मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक 4247 व/दस/69 दि. 1 अगस्त, 1969 के द्वारा,(जो राजपत्र दि. 1 अगस्त, 1969 में प्रकाशित) धारा 18 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समस्त सहायक वन संरक्षक व अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया है।

(2) खण्डीय वन अधिकारी डिवीजनल फारेस्ट आफीसर से कम श्रेणी का वन अधिकारी या कोई अन्य वन अधिकारी जिसे राज्य शासन इस बारे में प्राधिकृत करे की लिखित रिपोर्ट के बिना- न्यायालय अपराध का संज्ञान (Cognizance) नहीं करेगा।

धारा 19. अपराधों का प्रशमन- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगी कि वह—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह युक्ति-युक्त संदेह विद्यमान हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिये, जिसके कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने का संदेह हो, प्रतिकर के रूप में धन की राशि प्रतिग्रहीत कर ले, और

(ख) जब विनिर्दिष्ट वनोपज से भिन्न कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई हो उसे ऐसे मूल्य के संदाय पर निर्मुक्त कर दे जो कि

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) से धारा 16 में उपरोक्तानुसार संशोधन। (राजपत्र असाधारण दि. 21-8-90 पृष्ठ 1937-1938) तथा (म.प्र.लॉ टाइम्स 1990 पार्ट IV पृ. 86-87).

ऐसे आफिसर द्वारा प्राक्कलित (Estimated) किया गया हो।

(2) ऐसे आफिसर को धन की ऐसी राशि या मूल्य या दोनों का संदाय कर दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति उन्मोचित (Discharged) कर दिया जायेगा। विनिर्दिष्ट वनोपज से भिन्न कोई सम्पत्ति (यदि कोई हो) जो कि अभिग्रहीत की गई हो, निर्मुक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) कोई भी वन अधिकारी, इस धारा के अन्तर्गत सशक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह खण्डीय वन अधिकारी (D.F.O.) की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का आफिसर न हो और उपधारा (1) के खण्ड क के अधीन प्रतिकर के रूप में अधिग्रहित राशि किसी भी दशा में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी धारा 19

(1) Composition of Offences - अपराधों का प्रशमन- धारा 19 के अधीन अपराधों का प्रशमन किये जाने के लिए पूर्वापेक्षा शर्त यह है कि युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध अपराधी की ओर से डिवीजनल फारेस्ट आफीसर - सक्षम प्राधिकारी को प्रतिकर के रूप में वह रकम अदा कर दे जो उस प्राधिकारी ने धारा 19 (1) (बी) के अधीन estimated प्राक्कलित किया हो। संदिग्ध अपराधी की ओर से धारा 19 (1) (क) =(A) तथा ख =(B) की पूरी तामील होने पर धारा 19 (2) के अनुसार उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और कोई सम्पत्ति जो वनोपज से भिन्न हो-अभिग्रहण से छोड़ दी जायगी जब तक एस्टीमेटेड रकम प्रतिकर का पेमेन्ट नहीं होता है धारा 19 (1) के अधीन कार्यवाही पूरी नहीं मानी जा सकती ***(प्रेमनारायन*** वि. ***स्टेट*** *1979* ***जलाज*** *613 = 1979* ***म.प्र.ला.ज.*** *545)* ***(म.प्र.हाईकोर्ट)*** (1983 में दिसम्बर 3 में अधिहरण की शक्ति नहीं थी ***किरोडीमल*** वि. ***स्टेट म.प्र.***- *1988* ***म.प्र.ला. ज.*** *600 (पृष्ठ 603);*

(2) धारा 19 (1) की कार्यवाही से धारा 457 CrPC से कोई सम्बन्ध नहीं है, और धारा 19 (1) की कार्यवाही को धारा 457 CrPC की कार्यवाही में Agitate नहीं किया जा सकता। ***संतोष कुमार मिश्रा*** वि. ***स्टेट म.प्र.***- *1983 (1)* ***क्राइम्स*** *295 = 1983* ***क्रिमि. लॉ. ज.*** *1378* ***म.प्र.*** *= 1983* ***ज.ला.ज.*** *452 = 1983* ***म.प्र. लाज*** *406)*

"Though Section 19 (1) (b) provides that any property other than specified forest produce, which has been seized as liable to confiscation, the same may be relased on payment of the value thereof as estimated by the officer concerned. But this matter can not be agaitabed in proceedings under See 457", (आवेदक दूसरे फोरम में उपचार प्राप्त है)।

धारा 20. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving)– (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो, जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध, अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या किसी भी ऐसी बात के द्वारा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना आशयित रहा हो, पहुँचाये गये या संभाव्यता पहुंचाये जाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभाव्यतः उठाई जाने वाली किसी क्षति के लिये कोई वाद या विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

[1]**धारा 21. नियम बनाने की शक्ति–** (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों को या उसके किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :–

A-(क) धारा 4 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निबन्ध शर्तें तथा प्रक्रिया ।

B-(ख)(एक) विनिर्दिष्ट वन उपज का वह परिमाण, जिसका कि धारा 5 (2) (ख) के अधीन उपभोक्ता द्वारा परिवहन किया जा सकेगा ।

(दो) [1]धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन अभिवहन पास के निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुये विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन किया जा सकेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह रीति जिसमें तथा वह फीस जिसका संदाय किया जाने पर ऐसा अभिवहन पास जारी किया जायेगा ।

C-(ग) (एक) धारा 6 (3) के अधीन समिति के काम काज के संचालन की रीति ।

(दो) ऐसे भत्ते जिनके लिये समिति के सदस्य धारा 6 (4) के अधीन हकदार होंगे ।

D-(घ) धारा 7 के अधीन मूल्य सूची का प्रकाशन ।

E-(ङ) धारा 9 (3) के अधीन जाँच करने की रीति ।

F-(च) (एक) विनिर्दिष्ट वनोपज के परिमाण की धारा 10 के अधीन विहित किया जाना ।

(दो) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति ।

G-(छ) (एक) विनिर्दिष्ट वनोपज के परिमाण का धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाना ।

(दो) वह कालावधि जिसके भीतर, वह फीस जिसके संदाय तथा वह रीति जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा ।

(तीन) वे घोषणायें, लेखे तथा विवरणियाँ जो कि धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जायेंगी और वह प्ररूप जिसमें, वह अफसर जिसे तथा वे अन्तराल जिन पर वे प्रस्तुत की जावेंगी ।

[1]GG-[1][(छ-छ)] धारा 12-क की उपधारा (3) के अधीन वह [2]अन्तरण-मूल्य (Consideration) जिसका संदाय किया जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

H-(ज) वह प्ररूप जिसमें, वह प्राधिकारी जिसे, तथा

(एक) वह रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन पत्र दिया जायेगा ।

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) द्वारा जोड़े गये ।
2. म.प्र. (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1990 (क्र. 16 वर्ष 1990) द्वारा संशोधित । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 21-8-90 पृष्ठ 1937-1938 पर प्रकाशित- धारा 21(2) (छछ- GG) में (Consideration) प्रतिस्थापित (म.प्र.लॉ टाइम्स 1990 पार्ट IV पृ. 86-87)

(दो) अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने तथा उसके नवीनीकरण के लिये फीस और वे निबन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति मन्जूर की जायेगी।

H-H-[1] [(जज) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप जिसमें सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियों की सूचना भेजी जायेगी।

HHH-[1][(ज-ज-ज)] धारा 15 'क' की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जायेगी तथा वह फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और रूप जिसमें उसका संदाय किया जायेगा।

I- (झ) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

[2][**धारा 22. भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा अन्य विधियां विनिर्दिष्ट वन उपज के प्रयोजनों के लिए जिनको इस अधिनियम में आवृत्त किया गया है- लागू नहीं होंने** (1) विनिर्दिष्ट वन उपज से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) किसी अन्य विधि, नियम या आदेश में, या राज्य के किसी क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले किसी अन्य विषय में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उन विषयों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट वन उपज को लागू नहीं होगी जिनके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध अन्तर्विष्ट है।

[3][**धारा 22-क. विनिर्दिष्ट वन उपज को अधिनियम के प्रवर्त्तन से अपवर्जित (Exclude) करने की शक्ति-** (1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई वन उपज जो धारा 1 की उपधारा (3) में वर्णित या उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर एक ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट की गई तारीख से वह विनिर्दिष्ट वन उपज न रह गई हो, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वन उपज होगी।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

अधिसूचना क्र. एफ-25-28-03-दस-3 दिनांक 28 जून, 2003.- मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि दिनांक 1 जुलाई, 2003 से कुल्लू गोंद को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी।

[म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 4-7-2003 पृष्ठ 1462 पर प्रकाशित।]

1. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) द्वारा जोड़े गये।
2. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1986 (क्र. 15 वर्ष 1987) द्वारा संशोधित।
3. म.प्र. अधिनियम (16 वर्ष 1972) की धारा 3 के द्वारा संशोधित।

धारा 23. निरसन- मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

टिप्पणी धारा 22, 22-क, 23

(1) उन विषयों के प्रयोजनों के लिये जिनको इस विशेष अधिनियम में आवृत्त (Covered) किया गया है उनसे अन्य विधियां, नियम या आदेश या सरक्यूलर मेमो जो विधि का प्रभाव किसी राज्य क्षेत्र में रखते हों- लागू नहीं होंगे किन्तु विनिर्दिष्ट वन उपज से सम्बन्धित जो विषय इस विशेष अधिनियम में नहीं है उनके उपबन्धों के बारे में भारतीय वन अधिनियम लागू होगा।

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज को अधिनियम के प्रवर्त्तन से अपवर्जित (Exclude) करने की राज्य सरकार को अधिसूचना समय-समय पर जारी करके शक्ति प्राप्त है।

(3) यह अधिनियम क्र. 9/1969 ठीक अध्यादेश क्र. 9/1969 को निरस्त करते हुये उसी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा म. प्र. संशोधन अधिनियम क्रमांक 25/1983- (धारा 52- यथा संशोधित)- अधिहरण की कार्यवाही - बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये बिना की गई अवैधानिक है। म. प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 को 1-11-1983 से प्रभावशील किया गया है अतएव 1-11-1983 से पूर्व जो वन अपराध भारतीय वन अधिनियम के अधीन हुये उनमें धारा 52 लगायत 54 में अधिहरण की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1-11-1983 से वन के सक्षम प्राधिकारी को अधिहरण की कार्यवाही की जाने का अधिकार प्राप्त हो गया है जिसकी अपील धारा 52 (ए) के संशोधित अधिनियम क्र. 25/1983 के अनुसार कन्सरवेटर फारेस्ट के यहां रखी गई है तथा धारा 52 (बी) के अधीन सेशन्स कोर्ट में रिव्हीजन रखी गई है। धारा 52 (सी) के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता पर उस दशा में रोक लगा दी गई है जब उसे वन अधिकारी द्वारा विधिवत इन्टीमेशन अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही वन उपज या Vehicle (यान आदि उपकरणों) के बारे में शुरू की जा रही के बारे में पहले मिल जाय तब न्यायिक मजिस्ट्रेट को वन उपज या यान आदि सुपुर्दगी में देने की अधिकारिता नहीं रहती है किन्तु 1-11-1983 के पूर्व घटित वन अपराध में ये रोक नहीं थी।

(1) ***स्वरूप चन्द्र गर्ग*** वि. ***स्टेट म.प्र. -ए. आय. आर. 1984 म.प्र. पृष्ठ 7*** में वन अपराध दिनांक 4-10-1982 को घटित हुआ था जो संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 के प्रभावी दि. 1-11-83 से पूर्व का था।

(2) इसी प्रकार ***अहमद जी*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** *1991 FLT (समरी) 1,* ***म.प्र. डीबी. हाईकोर्ट-*** जस्टिस सी.पी. सेन तथा जस्टिस एस. अवस्थी- के मामले में ट्रक का अभिग्रहण दिनांक 19/20 सितम्बर 1981 को - संशोधन अधिनियम 25/1983 के पूर्व हुआ था। अतएव इन दोनों केसेज में Retrospective effect इस संशोधन अधिनियम 1-11-83 से प्रभावी को (भूतलक्षी प्रभाव) नहीं दिया गया।

(3) ***किरोडीमल अग्रवाल*** वि. ***स्टेट म.प्र.-*** *1988* ***म.प्र. लॉ ज.*** *600* के मामले में वन अपराध दिनांक 18-11-1983 को संशोधन अधिनियम मप्र. क्र. 25/1983 के प्रभावी दि. 1-11-83 के बाद यद्यपि घटित हुआ लेकिन उस मामले में म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम क्र. 9/1969 की धारा के प्रावधानों के अधीन अधिहरण का आदेश दिया गया था। वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम म. प्र. क्र. 9/1969 में मप्र. संशोधन अधिनियम क्र. 15/1987 के पूर्व कोई अधिकार अधिहरण की कार्यवाही की जाये का नहीं दिया गया था तथा धारा 22 में यह रोक थी कि उस वन उपज के प्रयोजन के लिये जिसके बारे में उस वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 में उपबन्धों को आवृत्त (Covered) किया गया है उनके बारे में भारतीय वन अधिनियम क्र. 16/1927 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। इस धारा 22 की रोक के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 की संशोधित म. प्र. अधिनियम 25/1983 (प्रभावी दिनांक 1-11-1983 की संशोधित धारा 52 ए को लागू नहीं किया जा सका और वन उपज व्यापार विनियमन (म. प्र.) अधिनियम 1969 के संशोधन अधिनियम क्र. 15/1987 के पूर्व की कार्यवाही अधिहरण

(Confiscation) को उस विशेष अधिनियम के अधीन कायम नहीं रखा जा सका।

(4) ***ओम प्रकाश अग्रवाल*** वि. ***स्टेट म.प्र.***- *1994 (II)* ***म.प्र. ज्युडिशियल रिपोर्टर*** *145* में जस्टिस यू.एल.भट तथा जस्टिस एम.व्ही. तामस्कर डीबी हाईकोर्ट म. प्र. ने इन मामलों के रिफरैन्स के साथ विधि का यथार्थ विश्लेषण किया है जिसमें 27, 28 दिसम्बर 1983 की बीच रात्रि का वन अपराध है इसमें हाईकोर्ट ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के म. प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 (प्रभावी 1-11-1983) के अधीन यदि अधिहरण की कार्यवाही आवश्यक समझी जाय तो यान के मालिक को पूर्व नोटिस तथा सुनवाई का अवसर देकर की जा सकती है ऐसा विनिश्चय किया- (पैरा 8) तथा वर्तमान में अधिहरण की बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये बिना की गई कार्यवाही को अवैधानिक ठहराकर निरस्त किया (पैरा 3, 8) 1994 (II) म. प्र. जे.आर. 145) डीबा हाईकोर्ट (म. प्र.)।

स्टेट म.प्र. वि. ***राकेश कुमार*** - *1994 (1)* ***म.प्र. ज्युडिशियल रिपोर्टर*** *368 (**जस्टिस एस.के.दुबे-म.प्र. हाईकोर्ट**)* धारा 52 एवं 52-सी (संशोधित अधिनियम क्र. 25/1983) के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधिवत वन अपराध के कारित होने के संदर्भ में वन उपज या यान, उपकरण के अभिग्रहण वन अधिकारी द्वारा की जाने तथा अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही होने की सूचना दे दी जाने पर उस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 457 और 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता cease (समाप्त) हो जाती है- जस्टिस एस.के. दुबे ने विनिश्चित किया:- "The Seizure of the truck by the police officer for the forest offence coupled with the offence under Penal Code or any other enactment, in the opinion of this Court, will not make any difference after the intimation of initiation of proceedings under Sec. 52 (4) of Confiscation and the jurisdiction will stand ousted of the magistrate concerned to deal with the subject-matter so seized for passing the order interim or final custody under the provisions of Sec. 451 and 457 Cr P.C." 1994 (1) M.P.J.R. 368 para 11- (H.C., M.P.) Justice S.K. Dubey);

(1) ***कन्हैयालाल*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1988* ***जलाज*** *94* इस मामले में ट्रक पुलिस द्वारा सीज़ (Seize) नहीं किया गया था तथा मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ था। धारा संशोधित 52-C (IF Act) के कारण धारा 451 CrPC की अधिकारिता ousted होना मानी गई।

(2) ***अशोक कुमार*** वि. ***स्टेट म.प्र.-क्रिमिनल रिव्हीजन क्र.*** *59/1989*- निर्णीत दि. 13-4-1994 Unreported case में यही View ली गई है;

(3) ***(रेंज फारेस्ट आफीसर*** वि. ***रोडीलाल*** - *1987* ***क्रिमिनल लॉ जर्नल*** *1314)*-में करार दिया गया है कि जब सेशन्स न्यायालय धारा 52-B (2) (IF Act) के अधीन रिव्हीजन सुनता है तब अधिकारिता पर रोक हट जाती है जिसमें सेशन्स जज उस आदेश के विरुद्ध रिव्हीजन आवेदन पर विचार करता है जिसमें अपीलीय आदेश में अपील को निरस्त कर अधिहरण की धारा 52 (IF Act) में की गई कार्यवाही बहाल रखी गई है;

रिषी नाथ सिंह वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1992* ***म.प्र. लॉ जर्नल*** *159* - में ट्रक वन विभाग ने सीज़ (Seize) किया था और पुलिस स्टेशन में मामला 353, 186 सहपठित धारा 34 (IPC) में रजिस्टर हुआ था किन्तु धारा 52-C (IF Act) की दृष्टि से कन्हैयालाल केस (उपरोक्त) तथा ***बाबूलाल लोदी*** वि. ***स्टेट म.प्र.*** - *1987* ***ज.ला.ज.*** *423* का अनुसरण करते हुए धारा 451, 457 CrPC की कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित नहीं रहना (not saved) माना गया।

स्टेट म.प्र. वि. ***कुंवर लाल*** *(1994 (1)* ***म.प्र. वी.नोट*** *48)* - इस मामले में ट्रैक्टर ट्राली पत्थरों के Slabs ले जाते हुये वन विभाग के प्राधिकारी ने Seize किया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन्टीमेशन वन अधिकारी ने दिया था जिस पर से धारा 457 CrPC की अर्जी CJM ने रिजैक्ट कर दी थी- सेशन्स जज में CJM का आदेश रिव्हीजन में खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सेशन्स कोर्ट के

रिव्हीजनल आदेश को गलत ठहराया और CJM का आदेश बहाल रखा।

भगवान भाई वि. ***वन मण्डल अधिकारी*** *(1985 MPWN 44)* ***तथा स्टेट म.प्र.*** वि. ***वंशीलाल*** *(1991 (1)* ***म.प्र.वी.नोट*** *118 -* ***के मामले स्टेट म.प्र.*** वि. ***राकेश कुमार*** *- 1994 (1)* ***म.प्र. ज्यु. रिपो.*** *368* (p. 373 पैरा- 12) में इस कारण विभेदित (distinguished) किये गये क्योंकि इन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 52-C के प्रयोजन (IF Act) के लिए वन प्राधिकारी ने अधिहरण की कार्यवाही की इन्टीमेशन (इत्तिला) नहीं दी थी, इसलिये न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता धारा 451, 457 CrPC के अधीन कस्टडी में विषय वस्तु देने के बारे में ousted नहीं हुई थी।